

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 3(17)वन/2025

जयपुर, दिनांक : 17 DEC 2025

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात जोधपुर जिले की तहसील लूणी में स्थित राजस्व ग्राम खेजडली कलां की राजस्व भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची-I एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-II के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पतीय, भू-संरचना, संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में खेजडली कलां संरक्षण आरक्षिति के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची - I

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1.	जोधपुर	लूणी	खेजडली कलां	184	46.9920	गैर मुमकिन गौचर
		लूणी	खेजडली कलां	184 / 1	51.4759	गैर मुमकिन गौचर
		लूणी	खेजडली कलां	148	17.1586	गैर मुमकिन औरण
		लूणी	खेजडली कलां	192	7.6243	गैर मुमकिन औरण
		लूणी	खेजडली कलां	321	11.0803	गैर मुमकिन औरण
		लूणी	खेजडली कलां	622 / 146	16.5192	गैर मुमकिन औरण
योग					150.8503 है.	

अनुसूची-II

उत्तरी सीमा : राजस्व ग्राम खेजडली कलां के खसरा संख्या 181, 182, 183, 183/3, 183/2, 185, 188, 191 एवं 193 की भूमि ।

दक्षिणी सीमा : राजस्व ग्राम खेजडली कलां के खसरा संख्या 355 के लगती हुई रोड़ की भूमि ।

पूर्वी सीमा : राजस्व ग्राम खेजडली कलां के खसरा संख्या 193, 319, 318, 323 से लगती हुई रोड़ की भूमि ।

पश्चिमी सीमा : राजस्व ग्राम खेजडली कलां के खसरा कलां के खसरा संख्या 146, 145, 142, 141, 141/1 से 3, 150, 151, 152, 152/1 एवं 181 की भूमि ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-3-

(बीजो जॉय)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को माध्यम से REAMS के माध्यम से ई-गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
13. जिला कलक्टर, जोधपुर।
14. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
15. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।
16. संसदीय कार्य विभाग।
17. गार्ड पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन (वन्य जीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशिष्ट शासन सचिव,